(क) ग्वालियर में टेलीफोन सलाहकार समिति का कब गठन किया गया और उसकी कार्यविधि क्या है; और

(ख) क्या समिति की कार्यविधि समाप्त हो गई है और यदि हां तो एक नई समिति गठीत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ग्वालियर में टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन फरवरी, 1970 में किया गया था। इसकी कार्यविधि दो वर्ष है, जो 31-1-1972 को समाप्त होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Complaint against S. D. O. Telephones, Gwalior

3208. SHRI ATAM DAS ; Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the period since when the Sub-Divisional Officer Telephones of Gwalior has been working there;

(b) the number of complaints against him under investigation; and

(c) if any enquiry has been completed the result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Since 4-10-1968.

(b) Nine.

(c) Enquiry is in progress.

ग्वालियर में स्वचालित टेलीफोन सेवा आरम्भ करने में विलम्ब

3209. **श्री आत्म दास** :

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन सेवा कब से आरम्भ की जायगी;

(ख) उक्त सेवा को निर्धारित समय में आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी का नाम क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या सब-डिवीजनल अधिकारी (टेलीफोन्स) ने ग्वालियर में अपने कुछ कृपा-पात्र व्यक्तियों और मित्रों को नियमों के विरुद्ध नई प्रकार की प्रिय दर्शनी मशीनें सप्लाई की हैं और इन मशीनों को कमी के कारण उक्त योजना को निर्धारित अवधि में आरम्भ नहीं किया जा सका था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) ग्वालियर में वर्ष 1972 के दौरान नए स्वचालित एक्सचेंज के चालू होने की संभावना है।

(ख) यह विलम्ब मेसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग, बेंगलोर से उपस्कर के न प्राप्त होने के कारण हुआ है।

(ग) तथा (घ). यदि माननीय सदस्य ने ब्योरे और पूरा विवरण दिया तो ग्वालियर के उप मंडल अधिकारी, टेलीफोन, पर कुछ उपभोक्ताओं को प्रिय दर्शनी टेलीफोन देने के सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन करने के बारे में लगाये गये आरोप के मामले की जाँच की जायेगी। इस समय की प्रिय दर्शिनी यंत्रों की कथित कमी के कारण से स्वचालित एक्सचेंजों के चालू करने में विलम्ब नहीं हुआ है। इस विलम्ब के कारणों का उल्लेख उपरोक्त पैरा (ख) के सामने किया गया है।